**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1236**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली**

**1236. श्री एन. बालगंगा:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : देश में विद्यमान आंगनवाड़ी केंद्रों की तमिलनाडु सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) : आंगनवाडी केन्द्रों के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) : क्या यह सच है कि काफी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र संतोषप्रद ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) : सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यक्षमता में सुधार हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) : 30.09.2013 तक की स्‍थिति के अनुसार देश में 13.75 लाख संस्‍वीकृत आंगनवाडी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में से 13.40 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं । तमिलनाडु सहित राज्‍य-वार ब्‍यौरा** अनुलग्‍नक-। **में दिया गया है ।**

(ख) : आंगनवाड़ी केंद्रों सहित समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्‍कीम के लक्ष्‍य एवं उद्देश्‍य हैं (i) 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्‍चों के पोषण एवं स्‍वास्‍थ्‍य स्‍तर में सुधार करना; (ii) बच्‍चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना; (iii) मृत्‍युदर, अक्षमतादर, कुपोषण एवं पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करना; (iv) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्‍न विभागों के बीच नीति का कारगर समन्‍वयन तथा क्रियान्‍वयन हासिल करना; और (v) बच्‍चे की सामान्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित पोषण एवं स्‍वास्‍थ्‍य शिक्षा के माध्‍यम से माताओं की क्षमता को बढ़ाना ।

(ग), (घ) और (ड.) : आईसीडीएस स्‍कीम के क्रियान्‍वयन का निर्धारित मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं के साथ-साथ पर्यवेक्षण दौरों आदि के माध्‍यम से सतत मानीटरन किया जाता है । प्राप्‍त सूचनाओं एवं फीड बैक के आधार पर राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को आंगनवाडी केंद्रों के प्रचालन एवं कार्यकरण सहित स्‍कीम के क्रियान्‍वयन की कमियों को पूरा करने तथा उसमें सुधार के लिए पत्रों एवं समीक्षा बैठकों के माध्‍यम से कहा जाता है ।

 आईसीडीएस के निष्‍पादन में सुधार लाने के उद्देश्‍य से सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्‍थिति के मानीटरन हेतु जन प्रतिनिधियों को भागीदार बनाते हुए विभिन्‍न स्‍तरों (राष्‍ट्र/राज्‍य/जिला/ब्‍लॉक एवं आंगनवाड़़ी स्‍तर) पर 5 स्‍तरीय मानीटरन एवं समीक्षा तंत्र शुरू किया है । सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्‍कीम के क्रियान्‍व्‍यन के विभिन्‍न स्‍तरों पर मानीटरन एवं समीक्षा समितियां गठित करने के लिए 31.03.2011 से दिशा-निर्देश जारी किए हैं । आंगनवाड़ी स्‍तरीय समिति आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यकरण सहित सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाने के लिए समीक्षा करती है, सुझाव प्राप्‍त करती है और कार्रवाई करती है । उपलब्‍ध सूचना के अनुसार, 30 राज्‍यों ने सभी स्‍तरों पर मानीटरन एवं पर्यवेक्षण समितियां गठित कर ली है ।